न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 69/2020 (75 एलआरए)

दौलतराम बनाम राजस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00097)

दौलतराम पिता देवीलाल जाति कुम्हार निवासी बिश्निया तहसील गंगधार

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान

..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार अकलेरा
दिनांक 17.09.2020 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 570/2020

उपस्थित :

अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह राज़ावत

निर्णय

दिनांक 27/7/2021

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार अकलेरा के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 570/2020 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2020 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 570/2020 पटवारी हल्का बिश्निया की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जिसकी तामील स्वंय अप्रार्थी को करवाई गई। प्रकरण मे बयान पटवारी लिये गये बयान पटवारी के अनुसार अतिक्रमी श्री दौलतराम पिता देवीलाल जाति कुम्हार निवासी बिश्निया तहसील गंगधार की आराजी ख0न0 752/10 की 2 बीघा 18 बिस्वा पर सम्वंत 2077 में नाजायज कब्जा कर फसल सोयाबीन व मक्का काश्त कर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी का इससे पूर्व सम्वंत 2076 में भी नाजायज कब्जा था जिस पर से अतिक्रमी

27/7/21

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड (राज०)

को बेदखल किया गया था अतिक्रमी द्वारा पुनः नाजायज कब्जा करने से पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान 3.19 रूपये का 50 गुना अर्थात 160/– रूपये के आर्थिक दण्ड एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के अपराध में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 माह (30 दिन) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है। वारंट गिरफ्तारी थानाधिकारी गंगधार को भिजवाए गए। अपीलांट ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द सिह राजावत ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो कानून के विपरित है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी भूमि से अपना कब्जा काफी समय पूर्व ही हटा लिया गया है, आराजी भूमि खाली पड़ी हुई है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर कोई काश्त नही की है–फिर भी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में सम्पूर्ण जुर्माना राशि जमा करा दी है। अब भविष्य में उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही किया जायेगा। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 11.11.20 को निर्णय की नकल प्राप्त की। अपील अपीलान्ट अवधि मध्य स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.20 अपास्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया ।

5 अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

6 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस की प्रोपर तामील नही कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिखा गया है उसमें अंकित किया गया है कि अतिक्रमी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील मानकर संलग्न पत्रावली किया गया है।

27/7/21
अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड (राज०)

इसलिए अपीलान्ट के अधिवक्ता यह तर्क मानने योग्य नही है।

7 हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिचार भी अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में विवेचित पूर्व के निर्णय व बयान से होती है, किन्तु उसके द्वारा अब वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटाने बाबत अपील में अंकित किया गया है तथा आरोपित शास्ति भी जमा राज कराई जा चुकी है जिसकी पुष्टि मे उनके द्वारा प्रस्तुत रसीद नामे की प्रति से होती है। अपीलान्ट ने दोराने बहस मे कब्जा छोडने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया हे अतः अपीलान्ट कुछ राहत पाने का पात्र हो गया है– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे किसी स्वतंन्त्र गवाह से भी द्वितीय अतिचार प्रमाणित नही कराया गया है। अतः हमारी राय मे यह प्रकरण पुनः जांच का मोहताज है।

8 परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परित सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर शेष निर्णय यथावत रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण मे पुनः सुनवाई करे व कब्जे के बाबत आवश्यक तहकीकात कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करने की कार्यवाही अमल मे लावे।

27/7/21

(दाताराम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

झालावाड़

अति० कलक्टर एवम् अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ (राज०)

9 निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/7/21

(दाताराम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

झालावाड़

अति० कलक्टर एवम् अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ (राज०)